**उत्तर प्रदेश शासन**

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2**

**संख्या-क0नि0-2-319/ग्यारह-9(135)/13-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(151)-2016**

**लखनऊः दिनांकः 03 मार्च, 2016**

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में दिनांक 04 मार्च, 2016 से निम्नलिखित संशोधन करते हैंः-

## संशोधन

उक्त अनुसूची-एक में, क्रम संख्या 13 की प्रविष्टि में, अर्धविराम और शब्द "**;एल0ई0डी0 बल्ब**" अन्त में बढ़ा दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

बीरेश कुमार

प्रमुख सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in